न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—188/2020/225 (2020/00188)

1. दीनदयाल पुत्र कानाराम, जाति जाट, निवासी हरसौली, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।

अपीलांट

बनाम

1. रामकिशन पुत्र कानाराम, जाति जाट, निवासी हरसौली, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
2. अर्जुनलाल पुत्र कानाराम, जाति जाट, निवासी हरसौली, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
3. श्रीमती रामप्यारी पत्नि कानाराम, जाति जाट, निवासी हरसौली, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
4. श्रीमती लालीदेवी पुत्री कानाराम, जाति जाट, निवासी हरसौली, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
5. गोगाराम पुत्र गंगाराम, जाति जाट, निवासी हरसौली, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
6. श्रीमती भंवरी देवी पत्नि गोगाराम, जाति जाट, निवासी हरसौली, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
7. तहसीलदार, दूदू, जिला जयपुर ।
8. उप पंजीयक, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू दिनांक 7.10.2020 अंतर्गत प्रकरण संख्या 57/2020.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री दीपक पारीक, वकील अपीलांट ।
2. श्री मुकेश चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 6.
3. रेस्पो0 संख्या 1 से 5 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 7 व 8.

निर्णय

दिनांकः—24.11.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय दिनांक 7.10.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. अपीलांट ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष धारा 88, 188 व 53 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश किया और उसके साथ धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 स्व0 कानाराम के वारिसान है तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 जो कि वादी के चाचा व चाची है । विवादित आराजियात खसरा नंबर 2401/2958 रकबा 1.77 है0 तथा खसरा नंबर 2405 रकबा 9.6100 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 11.3800 है0 भूमि ग्राम हरसौली, तहसील दूदू जिला जयपुर में स्थित है जो कि स्व0 गंगाराम की खातेदारी भूमि रही थी तथा गंगाराम के नाम पर्चा सैटलमेंट जारी हुआ था तथा वादी व प्रतिवादीगण गंगाराम के वारिसान है जिससे उनका विवादित भूमियों में बराबर–बराबर हिस्सा होता है । अन्त में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 5 जमीन का हस्तांतंरण बैचान करना चाहता है इसलिये अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे । अधी0न्याया0 ने प्रकरण दर्ज कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की इसके पश्चात् दिनांक 14.9.2020 को विपक्षीगण के हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, शेष प्रतिवादीगण की तलबी हेतु पत्रावली नियत थी परन्तु दिनांक 7.10.2020 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश की गई थी तथा निवेदन किया कि प्रार्थी और अप्रार्थीग्ण एक ही परिवार के सदस्य है और यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां पारिवारिक विवाद हो, वहां विवाद को रोकने व वाद बाहुल्यता को बढ़ावा ना मिले और वाद के विचाराधीन रहते विवादग्रस्त आराजी को खुर्दबुर्द होने से रोकने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा दी जानी चाहिये । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलांट एवं रेस्पो0 एक ही परिवार के सदस्य है और वर्षो से शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है परन्तु कुछ भू–माफिया लोगों के बहकावे में आकर अप्रार्थी संख्या 5 जमीन का बैचान करने पर आमादा है । इसके बावजूद बिना किसी साक्ष्य व सबूत के अधी0न्याया0 द्वारा गैर कानूनी रूप से आक्षेपित आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपने आदेश में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाना उचित समझते है । यह अंकित कर प्रार्थना पत्र नॉन स्पीकिंग आदेश से खारिज किया है । अधी0न्याया0 ने अपने आदेश से अप्रार्थीगण संख्या 5 व 6 को खुली छूट प्रदान कर दी है जिसे वह बेचान करने पर आमादा है तथा प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है। अधी0न्याया0 ने प्रकरण की परिस्थितियों को समझे बिना तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 6 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार रेस्पो0 संख्या 5 था जिसने अपनी पत्नि रेस्पो0 संख्या 6 को विवादित भूमि जरिये उपहार के हस्तातंरित की है जिससे रेस्पो0 संख्या 6 जरिये उपहार के विवादित आराजियात की मालकिन स्वामी होकर खातेदार काश्तकार है । एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । अपीलांट ने विवादित आराजियात पैतृक होने के आधार पर वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसका निर्धारण मूल वाद में बाद साक्ष्य किया जावेगा किन्तु वर्तमान राजस्व

रिकार्ड में रेस्पो0 संख्या 5 व 6 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसे किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को पाबंद किये जाने की स्थिति में अपूर्णीय क्षति भी रेस्पो0 को होने की संभावना है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के घटक अपीलांट के पक्ष में नहीं होने से अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के आदेश का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2076 के अनुसार खाता संख्या नया 113 पुराना 100 के खसरा नबंर 2401/2958 रकबा 1.7700 है0 एवं खसरा नंबर 2405 रकबा 9.6100 है0 का खातेदार गोगा पुत्र गंगाराम खातेदार काश्तकार दर्ज है । पत्रावली पर उपलब्ध पंजीकृत उपहार पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार गोगा पुत्र गंगाराम ने वादग्रस्त आराजियात खसरा नबंर 2401/2958 रकबा 1.7700 है0 एवं खसरा नंबर 2405 रकबा 9.6100 है0 को भंवरी देवी पत्नि गोगाराम, जाति जाट को उपहार स्वरूप प्रदान की है । विवादित आराजियात के संबंध में मूल वाद अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है । अपीलांट को वाद में क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है इन सब तथ्यों का निर्धारण मूल वाद में बाद साक्ष्य किया जावेगा किन्तु वर्तमान में विवादित आराजियात के रेस्पो0 संख्या 5 तत्पश्चात् उपहार पत्र के आधार पर रेस्पो0 संख्या 6 खातेदार काश्तकार है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अपने पक्ष मे साबित करने में असफल रहे है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में विधिसम्मत् रूप से प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नही होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित आदेश दिांक 7.10.2020 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर